भाग III
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	14	नहीं
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, लोहर्रा से झिरिया मंदिर तक मार्ग के निर्माण हेतु , वनमंडल विदिशा, परिक्षेत्र गयारसपुर के वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 86 एवं आर.एफ. 87 की कुल 2.28 हेक्टेयर वन भूमि, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा को उपयोग पर देने के लिये, व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि :– 27. 5. 2022
स्थान: भोपाल

नाम
सरकारी मोहर
(रवीन्द्र सक्सेना)
मुख्य वन संरक्षक
भोपाल वृत्त भोपाल

Scanned by CamScanner

कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674298 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 1200 — भोपाल, दिनांक 27 मई 2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
भू–प्रबंध
म0प्र0 भोपाल

विषय:– विदिशा जिले अंतर्गत परिक्षेत्र ग्यारसपुर में, लौहरि से झिरिया मंदिर तक मार्ग के निर्माण हेतु 2.28 हेक्टेयर वनभूमि, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा को उपयोग पर देने बावत्।
(ऑन लाईन प्रकरण क्र. FP/MP/ROAD/43379/2019)

संदर्भ:– वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल विदिशा का पत्र क्रमांक/माचि/994 दिनांक 10/05/2022

---0---

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा ने संदर्भित पत्र द्वारा लौहरि से झिरिया मंदिर तक मार्ग के निर्माण हेतु परिक्षेत्र ग्यारसपुर के वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 88 एवं आर.एफ. 87 की कुल 2.28 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा को उपयोग पर देने बावत्, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु, ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में 300 वृक्ष खड़े हैं ।

प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 2.28 हेक्टेयर वनभूमि के बदले, क्षतिपूर्ति वनीकरण, वनमंडल विदिशा के परिक्षेत्र ग्यारसपुर अंतर्गत, तहसील ग्यारसपुर के ग्राम दौलतपुर, खसरा क्रमांक **62/2 एवं 62/3 की भूमि में से प्राप्त 2.28 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर किया जाना प्रस्तावित किया गया हैं।**

इस हेतु वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल विदिशा के पत्र क्रमांक/माचि/104 दिनांक 17/01/2022 से परिक्षेत्र ग्यारसपुर अंतर्गत प्राप्त उपरोक्तानुसार ग्राम दौलतपुरा खसरा क्रमांक **62/2 एवं 62/3 की कुल 2.28 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्तुत स्थल विशेष की 11 वर्षीय (वर्ष 2022–23 से 2032–33 तक) वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना, राशि रू 20,41,694/– की तकनीकी स्वीकृति कार्यालयीन आदेश क्र/माचि/51 दिनांक 28/01/2022 द्वारा जारी की जा चुकी हैं, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।**

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, **सहमति सहित दो प्रति में आगामी** कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्न:–यथावर्णित।

(रविन्द्र सक्सेना)
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 1201 — भोपाल, दिनांक 27 मई 2022

प्रतिलिपि:–

वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मंडल विदशा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

27-5-22

E:\bhagat\cf act Jan 2020 .doc

Scanned by CamScanner